तेन्दू पत्ता योजना वार्षिक कार्य

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्त्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीडी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड, बारां, चितौडगढ़, बांसवाडा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते है, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष सिरोही, भीलवाडा, पाली एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते है।

तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण के तहत राजस्थान राज्य में वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेन्सियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक–पृथक सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। जिसमें संबंधित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती है। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। संग्रहण दरों का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी की दरों के आधार पर करने का प्रयास किया जाता है। विगत वर्ष 2021 के लिए रू. 1050/– प्रति मानक बोरा एवं वर्ष 2022 के लिए रू. 1100/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी। वर्ष 2023 के लिए 1200/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी। इसी प्रकार वर्ष 2024 के लिए 1320/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत प्रति वर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता इकाईयों का गठन किया जाकर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त उनका बेचान निविदायें आमंत्रित कर तथा खुली नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाईयों को राज्य सरकार की स्वीकृति से पड़त रखा जाता है।

गत तीन वर्षों में तेन्दू पत्ता के विक्रय एवं आय की स्थिति निम्न सारणी में अंकित है:–

क्र. स.	निष्पादन का तरीका	वर्ष	कुल इकाइयों की संख्या	व्ययन हुई इकाई	पडत रही इकाई	विक्रय से प्राप्त होने वाली आय (लाखों रू0 में)
1.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2021–22	166	166	0	4032.87
2.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2022–23	166	162	1	4630.04
3.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2023–24	163	151	7	2120.54

नोट :– वर्ष 2023–24 में 5 तेन्दू पत्ता इकाईयों को रिजर्व क्षेत्र में शामिल हो गयी है।

वर्ष 2023–24 के लिए राज्य की तेन्दू पत्ता कुल 163 इकाईयों में से 151 इकाईयों का व्ययन हुआ, जिनके बेचान से मार्च 2024 तक लगभग राशि 2120.57 लाख रू0 की आय प्राप्त हुई। विक्रय से अवशेष रही 7 इकाईयों को पडत रखा गया है। **उप वन संरक्षक, बुन्दी की 3 इकाईयां को रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है एवं उप वन संरक्षक, बारां की 2 इकाईयां को शाहाबाद, तलहटी संरक्षण रिजर्व क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है।** वर्ष 2023–24 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राशि रू. 1200/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई है। वर्ष 2023–24 में कुल 2.71 लाख मानक बोरे संग्रहित हुये। जिस हेतु लगभग 3252.00 लाख रू. श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा पारिश्रमिक चुकाया गया।

वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार रही है :–

(लाख रू0 में)

क.स.	विवरण	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियां (मार्च 2024 तक)
		2021–22	2022–23	2023–24
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	4004.83	4656.36	2120.57
2.	अन्य विविध आय	22.04	28.39	10.12
	योग	**4026.87**	**4684.75**	**2130.69**

वर्ष 2024 के लिए राज्य की तेन्दू पत्ता कुल 158 इकाईयों में से 148 इकाईयों का व्ययन हुआ, जिनके बेचान से मार्च 2025 तक लगभग राशि 2134.49 लाख रू0 की आय प्राप्त होने के सम्भावना है। विक्रय से अवशेष रही 9 इकाईयों को पडत रखा गया है। **उप वन संरक्षक, धौलपुर की 1 इकाई को उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य, धौलपुर में शामिल कर लिया गया है।** वर्ष 2024 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राशि रू. 1320/– प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई है। वर्ष 2024 में कुल 2.11 लाख मानक बोरे संग्रहित हुये। जिस हेतु लगभग 2785.00 लाख रू. श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा पारिश्रमिक चुकाया गया।

Revenue and production from Tendu Patta in the last 10 years :-

S.No.	Years	Total No. of Units	No of Sold Units	No of Fallow (PARAT) Units	No of Production Standard Bags	Revenue (In Lacks)
1	2	3	4	5	6	7
1	2014-15	168	100	68	177671	598
2	2015-16	168	115	53	259542	698.5
3	2016-17	167	167	0	314927	2406
4	2017-18	167	167	0	485766	8282.41
5	2018-19	167	167	0	357603	3349.42
6	2019-20	167	134	33	269905	1087.16
7	2020-21	167	114	53	276386	751.53
8	2021-22	166	166	0	317206	4032.87
9	2022-23	166	162	4	313388	4630.04
10	2023-24	162	144	7	270692	2120.57
11	2024-25	158	148	10	211252	2134.49